

7

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्रमांक 2437 / सम्पदा / भोविप्रा / 25

भोपाल, दिनांक 24/12/25

प्राधिकरण की स्वामी विवेकानन्द आवासीय परिसर योजना स्थित प्रकोष्ठों का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से दिनांक 21-01-21 से दिनांक 21-01-26 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में रिक्त संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से प्रकोष्ठों का आवंटन सुनिश्चित किया जावेगा।

आवंटन के माध्यम आवासीय आवासीय दिनांक - 22-01-26

क्र०	डुप्लेक्स / ईकाईयों का विवरण	डुप्लेक्स / ईकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	डुप्लेक्स / ईकाईयों का आरक्षित मूल्य	पट्टे (लीज) पर या भूमि स्वामी अधिकारों पर व्ययन	पट्टे (लीज) के प्रकरण में वार्षिक पट्टा भाड़ा	अमानत की राशि
1	D-167	आवासीय	90.00	सामान्य	70,53,609.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	7,05,361.00
2	D-175	आवासीय	90.00	सामान्य	70,53,609.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	7,05,361.00
3	D-176	आवासीय	90.00	सामान्य	1,05,95,559.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	10,59,556.00
4	D-177	आवासीय	90.00	सामान्य	1,07,64,449.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	10,76,445.00
5	D-178	आवासीय	90.00	सामान्य	70,53,609.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	7,05,361.00
6	C-68 A	आवासीय	72.00	अनुसूचित जाति	49,69,569.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	4,96,957.00
7	C-68 B	आवासीय	72.00	अनुसूचित जनजाति	49,69,569.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	4,96,957.00
8	C-68 C	आवासीय	72.00	सामान्य	49,69,569.00	लीज पर	मूल्य में सम्मिलित	4,96,957.00

आवंटन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- 1-भवन का आवंटन यथा स्थिती में किया जाएगा।
- 2-स्वीकृति उपरान्त जारी आवंटन पत्र में वर्णित नियम शर्तें मान्य होगी।
- 3- भवन का स्थल पर निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
- 4- भवन के विक्रय पश्चात किसी प्रकार का विकास का कार्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 5-किसी भी प्रकार वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, भोविप्रा, भोपाल का निर्णय मान्य होगा।
- 6-भवन के आवेदन एवं आवंटन पत्र में नियम एवं शर्तें संलग्न रहेगी, आवेदन में उल्लेखित शर्तों का आवेदन को पालन करना अनिवार्य होगा।
- 7-समिति शुल्क, सेवा प्रभार तथा व्ययन नियम 2018 के अनुसार देय होगी।
- 8- भवन की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी।
- 9-भवन संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रकोष्ठों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा। जिसकी सूचना पृथक से प्रदान की जावेगी।
- 10-शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल